tember, 1973 in Gazette of India, dated 29 September, 1973?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) S/Shri Chandergupt and Sultan Singh II, Grade I (Executive) officers of Delhi Administration had filed writ petitions in the Delhi High Court challenging the selection made by the Selection Committee in its meetings held on 24th and 25th August, 1973 for promotion of officers to DANICI vil Service on the ground that their seniority in Grade I(E) was erroneously fixed by the Delhi Administration.

(b) The High Court of Delhi had passed an order on 13-9-73 in case CM No. 1877-W/73 in CW No. 1215/73 filed by Shri Chandragupt *Vs.* Union of India for issue of notice for 11-10-1973 and granting stay in the meanwhile. The Division Bench of High Court had passed a further order in CM No. 1877-W/73 in CW No. 1215/73 on 5-12-1973, directing that there shall be no substantive appointments in the sense that every such appointment would be subject to review and subject to the final orders of the Court.

(c) No, Sir. But in view of the stay order passed on 13-9-73, the Delhi and Andaman Administrations were asked not to implement the panel.

(d) Does not arise in view of answer to part (c) above.

**दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा मस्जिदों के जीर्णोद्धार के लिए नई दिल्ली नगर पालिका से अनुमति प्राप्त करना**

5140. **श्री अशफाक हुसेन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मस्जिदों के नाम क्या हैं जिनकी मरम्मत या जीर्णोद्धार के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड ने नई दिल्ली नगर पालिका से अनुमति मांगी थी और अब तक उनको अनुमति न देने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या जनपथ की मस्जिद की मरम्मत के लिए भी अनुमति मांगी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो यह अनुरोध नई दिल्ली नगर पालिका कार्यालय में कब से लम्बित है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) ।** (क) से (ग) . नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने केवल एक मस्जिद अर्थात् जो जनपथ होटल के सामने जनपथ पर स्थित है, की मरम्मत करने के लिए उसकी अनुमति मांगी थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड से आवेदन पत्र जून, 1979 में प्राप्त हुआ था । नई दिल्ली नगर पालिका ने मामला आवास और निर्माण मंत्रालय को भेज दिया था, जिस ने अब मस्जिद में आवश्यक मरम्मत करने की अनुमति देने का निर्णय कर लिया है । तदनुसार नई दिल्ली नगरपालिका ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से पहले वर्तमान मस्जिद को भवन योजना को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है जिसमें प्रस्तावित मरम्मत कार्य का वास्तविक विवरण दिखाया गया हो ।

**Posts of Commandants and DIG in Central Police Organisation of Assam Rifles**

5141. SHRI VISHWANATH SHARMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total number of posts of Commandants and DIG in the Central Police Organisation of Assam Rifles;

(b) how many of these are at present held by officers of the Assam

Rifles and how many of these are held by Army officers on deputation; and

(c) if no post of DIG and Commandant in Assam Rifles is held by an Assam Rifles officer, the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) to (c). There are 26 posts of Commandants and 6 posts of D. I. G. in the Assam Rifles. The posts at this level have been traditionally held by Army officers on deputation basis. It was only in the late 1960s that over 100 released Emergency Commissioned officers were directly recruited to the Force as Assistant Commandants. These officers are presently holding the next higher post of Deputy Commandant with the exception of a few who failed to make the grade. In the absence of any Cadre officer occupying a post of Commandant in the Force, the question of promotion of Cadre officers to the rank of D. I. G. does not arise at present.

## अपशिष्ट पदार्थों से ऊर्जा उत्पादन के प्रयास

5142. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अपशिष्ट पदार्थों से ऊर्जा उत्पादन के अब तक क्या प्रयास किए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने जैव रसायन में अनुसंधान के प्रोत्साहन देने की कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) :** (क) से (ग). कृषि अवशेषों, प्राणि अवशेषों, मल आदि से ऊर्जा उत्पन्न करने के बहुत से कार्यक्रमों को हाथ में लिया गया है । सी० ए० एस० ई० जैव गैस प्रौद्योगिकी पर एक अखिल भारतीय परियोजना का समन्वय कर रहा है और साथ ही कई प्रायोगिक-व- प्रदर्शन सामुदायिक आकार के जव गैस संयंत्रों की स्थापना कर रहा है । कचरा गैस संयंत्र के विकास पर एक परियोजना का पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में कार्यान्वित किया जा रहा है । "अवशेष" से ऊर्जा उत्पादन सम्बन्धित अधिकांश स्कीमें किसी न किसी तरह से जैव रासायनिक अध्ययनों और जैव रूपान्तरण प्रक्रियाओं से सम्बन्धित हैं । एन० ई० ई० आर० आई०, नागपुर; महाराष्ट्र विज्ञान सम्वर्द्धन संघ, पुणे जैसी संस्थाओं में गोबर, मल, जल कुमुदिनी, कृषि अपशिष्ट आदि से मीथेन के उत्पादन को सूक्ष्म जीव- वैज्ञानिक अध्ययनों पर विशेष बल दिया जा रहा है । आई० आई० टी०, दिल्ली के जीव-रासायनिक इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र से मीथेन से मीथानोल के और कृषि अपशिष्टों से इथानोल के सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक उत्पादन के लिए परियोजनाएं चलाई जा रही हैं । लिग्नो सल्यूलोजी अपशिष्टों को इथानोल और अन्य रसायनों में परिवर्तित करने के लिए एकीकृत प्रयोगिक संयंत्र की स्थापना करने के लिए प्राथमिक अध्ययन भी किये जा रहे हैं ।